योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 1205.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा सांख्यिकी विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसन्धान प्रभाग में समंक विधायन सहायक के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.—(1) ये नियम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसन्धान प्रभाग (समंक विधायन सहायक) भर्ती नियम, 1977 कहलाए जायें।

(2) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के 2 से लेकर 4 तक के कालमों में दिये गये हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हतायें आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हतायें और उनसे सम्बन्द्ध अन्य बातें, वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के 5 से लेकर 14 तक के कालमों में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हतायें.— (क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करता है या विवाह की संविदा करता है जिसका कि एक पति/जिसकी कि एक पत्नी जीवित हो, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, अथवा

(ख) कोई व्यक्ति जो कि पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता है/करती है अथवा विवाह की संविदा करता है/करती है सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

5. छूट देने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों में से कोई भी नियम, इस बारे में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों, और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये प्रदान किये जाने वाले आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के नियम 30 के अधीन अनुमत्य जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ इस पद पर लागू होता है।	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
समंक विधायन सहायक	88	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'सी' (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय	330-10-380-द० रो० 12-500-15-560 रु०	नहीं	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (1) सरकारी कर्मचारियों को 35 वर्ष तक छूट (2) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य विशेष श्रेणियों के उम्मीदवारों के मामले में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट की जा सकती है। (3) प्रत्येक मामले में आयु सीमा निर्धारित करने की तारीख वह होगी जिस अन्तिम तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिये कहा जाए।

Attested

(पी.के. कैलाशा बाबू)
नियंत्रक प्रकाशन
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स,
दिल्ली-110054

सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हतायें	क्या सीधी भर्ती वालों के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत किये जाने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी लागू होंगी?	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती पद्धति, सीधी भर्ती से या पदोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से भर्ती किये जाने पर वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किये जाते हैं।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना है।
8	9	10	11	12	13	14
अनिवार्य : सांख्यिकी अथवा गणित विषय के साथ कला अथवा वाणिज्य में विश्वविद्यालय की डिग्री। वांछनीय : (1) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान का कम्प्यूटर्स सर्टिफिकेट अथवा सांख्यिकीय संगणन (स्टैटिस्टिकल कम्प्यूटेशन) में एक वर्ष का अनुभव ; या (2) विद्युच्चालित की पंच व वेरीफाइंग मशीन चलाने का प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, अथवा विद्युच्चालित की पंच मशीन या वेरीफाइंग मशीन चलाने का एक वर्ष का अनुभव, अथवा (3) कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण पाने का प्रमाण पत्र अथवा कम्प्यूटर प्रोग्रामर के कार्य का एक वर्ष का अनुभव, अथवा (4) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यूनिट रिकार्ड मशीनों पर प्रशिक्षण लेने का प्रमाणपत्र, अथवा यूनिट रिकार्ड मशीनों पर कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं० ए० 12018/1/76-रा० प्र० सर्वे० II]
राजेन्द्र नारायण सक्सेना, उप-सचिव

MINISTRY OF PLANNING

(Department of Statistics)

New Delhi, the 26th August, 1977

G.S.R. 1205.—In exercise of the powers confered by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Data Processing Assistant in the Data Processing Division and Survey Design and Research Division of the National Sample Survey Organisation in the Department of Statistics under the Ministry of Planning namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Sample Survey Organisation, Data Processing Division and Survey Design and Research Division (Data Processing Assistant) Recuitment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications.—No person—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary on expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

(पी.के. कैलाशा बाबू)
नियंत्रक प्रकाशन
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स,
दिल्ली-110054

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether the benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules is applicable to the post(s)	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational qualifications required for direc recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Data Processing Assistant	88	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-15-560	No	Not applicable	Between 18 and 25 years. 1. Relaxable for Govt. servants upto 35 years. 2. The upper age limit prescribed may be relaxed in the case of candidates belonging to the SC/ST and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government. 3. The crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit names.	Essential : University Degree in Arts or Commerce with Statistics or Mathematics as one of the subjects. Desirable : (1) Computer's certificate of a recognised Institution or one years' experience in Statistical computation; or (2) A Certificate of training in the operation of electrically operated key punch and verifying machines, or one year's experience in the operations of electrically operated key punch machines or verifying machines; or (3) Certificate of a recognised Institution of training in Computer programming/or one year's experience of working as a computer programmer; or (4) Certificate of a recognised Institution of training on Unit Record Machines/or one year's experience of working on Unit Record Machines.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation / transfer, grades from which promotion, deputation / transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Publi Service Commission is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable

[No. A. 12018/1/76—N.S.S. II]
R. N. SAXENA, Dy. Secy

Attested

(पी.के. कैलाशा बाबू)
नियंत्रक प्रकाशन
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स,
दिल्ली-110054